न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), शिवगंज जिला–सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
नरेन्द्र सोलंकी पुत्र मांगीलालजी जाति जैन निवासी विलायती वास शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज0)	बनाम	1.अर्जुनकुमार पुत्र खसाराम 2.केसीदेवी पत्नी खसाराम 3.गंगाराम पुत्र खसाराम 4.चतराराम पुत्र दौलाराम 5.जगाराम पुत्र होबाराम 6.जोगाराम पुत्र होबाराम 7.देवी पुत्री होबाराम 8.दिनेशकुमार पुत्र खसाराम 9.धापु पुत्री खसाराम 10.मंछी पुत्री मगाराम 11.लीला पुत्री खसाराम 12.वदाराम पुत्र होबाराम 13.सकाराम पुत्र खसाराम 14.सुकीदेवी पुत्री खसाराम 15.सवाराम पुत्र होबाराम 16.हंजादेवी पुत्री खसाराम सर्वजातियान मेघवाल सर्व निवासीयान देवली तह0 शिवगंज 17.सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बडगांव 18.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता–श्री महेन्द्रसिंह राव

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल
अप्रार्थी सं0 2ता 4, 8ता 10,13,14

विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र धनेरा
अप्रार्थी सं0 5,6,12,15

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 75/2023

–:: आदेश ::–

दिनांक 25.07.2025

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगणों के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10.08.2023 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मैं प्रार्थी कस्बा शिवगंज का निवासी हूं तथा मुझ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा देवली तहसील शिवगंज जिला सिरोही के खसरा नम्बर 176/29 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर आई हुई स्थित है। मैं प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का सुविधापूर्ण उपयोग, उपभोग करने के लिए तथा भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो इसके लिए नियमानुसार शांतिपूर्ण ढंग से नेकमबंदी/पत्थरगढ़ी सीमा चिन्ह मेरी खातेदारी आराजी खसरा न0 176/29 के चारों तरफ करवाना चाहता हूँ। मुझ प्रार्थी की खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण के खसरा न0 28, 30, 31, 37, 206/29 के मध्य आई हुई है। जिसको लेकर आए दिन वाद–विवाद होता रहता है, जिस कारण से मैं अपनी आराजी के चारों तरफ नेकमबंदी/पत्थरगढी सीमा चिन्ह करवाना चाहता हॅू। पत्थरगढी सीमा चिन्ह नहीं होने से बार–बार मौके पर सीमा विवाद एवं अतिक्रमण की आशंका रहती है। तथा मौके पर जमीन खडाई में दुविधा उत्पन्न नहीं हो जिससे श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर नेकमबंदी/ पत्थरगढी सीमा चिन्ह अंकित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:11:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी नकल, नक्शा की प्रति व सलग्न दस्तावेजो के अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से दिनांक 10.08.2023 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी सं. 2 ता 4, 8 ता 10 एवं 13 व 14 की और से अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल ने दिनांक 13.02.2024 को जवाब पेश किया।

लगातार पेज –02

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

अप्रार्थी सं0 1, 11, 16 व 17 के नोटिस तामील होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 12.06.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर इनका जवाब बंद किया गया। दिनांक 02.08.2024 को अप्रार्थी सं0 5, 6, 12, 15 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र धनेरा ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं0 7 के नोटिस तामील होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 17.12.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर इनका जवाब बंद किया गया। दिनांक 27.06.2025 को अप्रार्थी सं0 18 स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज ने जवाब पेश किया। जिस पर दिनांक 23.07.2025 को उभय पक्षकारों ने प्रार्थना पत्र पर बहस की जिसे सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किये कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिवगंज ने अपनी जवाब में तरमीम गलत होने का कोई जिक्र ही नहीं किया है। जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी/नेकमबंदी करने का पूर्ण अधिकार है। जिसका खण्डन करते हुए अप्रार्थी अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल ने बताया कि प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी भूमि मौजा देवली में जरूर आई हुई है परन्तु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अडो अड प्रार्थी की कोई भूमि स्थित नहीं रही है। ना हि है। प्रार्थी ने वक्त सेगीग्रेशन के दौरान राजस्व कर्मचारीयों से मिलावट कर राजस्व नक्शे में ऑन लाईन करते वक्त सरकारी भूमि पर अपना खसरा का गलत तरमीम करवाया गया है। तथा प्रार्थी उक्त गलत तरमीम की आड में खसरा नं0 37 रास्ता की भूमि से लगती हुई कब्जा करना चाहता है। दिनांक 25.07.2025 को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौके का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया कि प्रार्थी स्वयं अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी/नेकमबंदी करवाना चाहता है जो कि उचित पाया गया।

हमने विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि **मौजा देवली तहसील शिवगंज जिला सिरोही के खसरा नं0 176/29 रकबा 2.4281 हैक्टेयर** व सलग्न दस्तावेजो तथा उभय वकील पक्षकारान तथा तहसीलदार शिवगंज के जवाब पर की गई बहस पर भी गंभीरता से मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण का स्वीकार योग्य होने से **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा देवली तहसील शिवगंज जिला–सिरोही के खसरा नं0 176/29 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर में पडौसी खातेदारों द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण/बेदखल करने की संभावना व खातेदारी भूमि में काश्त करने में विघ्न पैदा होने तथा भविष्य में और भी कानुनन परेशानी व अन्य समस्याए पैदा न हो इस हेतु नियमानुसार प्रार्थी से उक्त भूमि के सीमाज्ञान हेतु **भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार) शिवगंज को मौका कमिश्नर नियुक्त** किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी का नेखमबंदी करने से पूर्व सभी आवश्यक पक्षकारों की उपस्थिति में नेखमबंदी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उक्त नेखमबंदी करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगणों को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित किया जाकर एक तिथि निश्चित (वर्षा काल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 को ध्यान में रखते हुए) कर नेकमबंदी की जावे। **कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/– रूपये (एक हजार)** निर्धारित किया जाता है जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा। यदि पुलिस ईमदाद की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाने से पुलिस ईमदाद प्राप्त करें। आदेश सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखल दफ्तर हो।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:11:34 IST
Reason: SelfAttested

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (राज.)

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O)
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ ५५५

दिनांक 25.07.2025

प्रतिलिपि पालनार्थः–

तहसीलदार शिवगंज को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O)
शिवगंज (सिरोही)